रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 764] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20 1993/अग्रहायण 29, 1915
No. 764] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 1993/AGRAHAANA 29, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रमुख समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय

अधिसूचना

बम्बई 11 सितम्बर, 1992

सं. 16/92—सीमा शुल्क एन.टी.

का.आ. 989(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 4-10-1990 की अधिसूचना सं. 64/90—एन.टी. सीमा शुल्क द्वारा तथा दिनांक 18-6-1990 की अधिसूचना स. 34/90—सीमा शुल्क एन.टी. द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला, हवेली तालुका के गांव तम्बवडे को

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (100% ई.ओ.यू.) स्थापित करने के अभिप्राय हेतु भाण्डागारण स्थल घोषित करता हूं।

[फा.सं. VIII/40-13/पी सी यू/बी सी एक्स-II/92]

आर.के. थवानी, प्रमुख समाहर्ता

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

Bombay, the 11th September, 1992

NO. 16/92-CUSTOMS (NT)

S.O. 989(E).—In exercise of the powers conferred by the Notification No. 34/90-Customs (NT), dated 18-6-1990 as amended by Notification No. 64/90-Customs (NT), dated 4-10-1990 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, Village Talwade. Taluka Haveli, Distt. Pune in the State of Maharashtra is hereby declared to be warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the purpose of setting up hundred per cent export oriented unit (100% EOU).

[F. No. VIII/40-13/PCU/BCX II/92]

R. K. THAWANI, Principal Collector

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993